

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
जौनपुर ।

प्रपत्र-  
माइकोटेक इण्टरनेशनल स्कूल,  
मुरतजाबाद मुफ्तीगंज, जौनपुर ।

पत्र-  
मायता/ 3116 /2017-18 दिनांक 30-12-2017  
विषय- नि.शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 15 के प्रवचन के लिये नि.शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उप नियम (4) के अधीन अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए मायता प्रमाण पत्र-

महोदय,

पांच अधिकारी/सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी की आख्या/संस्तुति तथा मध्यस्थी सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) प्रथम मण्डल वाराणसी के अनुमोदनोपरान्त उ0प्र0 शासन, लखनऊ शिक्षा अनुभाग-6 आदेश संख्या -419/79-6-2013 -18(20)/91 दिनांक 08 मई 2013 के द्वारा गठित समिति के निर्णय दिनांक 30.11.2017 के अनुक्रम में आप के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पर्याप्तता पत्राचार/निवेदन के प्रतिनिधित्व माइकोटेक इण्टरनेशनल स्कूल, मुरतजाबाद मुफ्तीगंज, जौनपुर को 30.12.2017 से 29.12.2020 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए नर्सरी से कक्षा 08 तक के लिए अनिवार्य मायता प्रदान करने की तसवीर देता हूँ।

उपरोक्त मजुरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है -

- 1- मायता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उत्तम किसी भी रूप में कक्षा 08 के पर्याप्त मायता/संबन्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2- विद्यालय नि.शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (उपबंध 1) और नि.शुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010 (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3- विद्यालय कक्षा 01 में (या यथा स्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आठ पड़ोस के कमजोर बच्चों और सुविधा विहीन बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि.शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 4- पैर-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय की अधिनियम की धारा 12 की उपधारा(2) उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरिया प्राप्त करने के लिए एक पृथक बैंक खाता खोलेगा।
- 5- शैक्षणिक/विद्यालय किसी कंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा, और किसी बालक या उसकी माता-पिता या सरक्षक को किसी स्कौटिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
- 6- वि.शु.209 किसी बालक को उसकी आयु का सन्तुष्ट न होने के कारण प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा और अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा, विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा -
  - प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसको विद्यालय में निष्कासित नहीं किया जायेगा।
  - किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
  - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
  - प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 20 के अधीन अधिकतम किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
  - अधिनियम के उपबंध के अनुसार निश्चक्यता प्रवृत्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
  - अध्यापकों की नहीं की अधिनियम की धारा 23 (1) अधीन पर्य्य अधिकतम न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और की विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताये नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताये अर्जित करेंगे।
  - अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपन कर्तव्यों का पालन करता है।
  - अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन-क्रिया कलापी में निर्योजित नहीं करेगा।
- 7- विद्यालय समुचित प्रतिक्रिया द्वारा अविकथित पाठ्यपत्रों के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के बालकों और स्तुति की बनाये रखेगा। अतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुधियाये निम्नानुसार है -

विद्यालय परिवार का क्षेत्रफल ।

कुल निर्मित क्षेत्रफल ।

क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल ।

कक्षाओं की संख्या ।

प्राध्यापक-सह कार्योत्थ, सह नर्स-संगठन के विषय में ।

बालकों और बालिकाओं के पृथक शौचालय ।

पेय जल सुविधा ।

मोड-उ-माल पकाने के लिए रस्ता ।

बाधा रहित पहुँच ।

अध्यापन पटन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपकरण/सुस्तकालय की उपलब्धता ।

✓

✓

- 9- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के क्षेत्र से कोई भी कुत्ता प्राप्त क्लबमें और नहीं चलाई जायेगी।
- 10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कोई स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और अवकाश विकास योजनाओं के अंतर्गत ही किया जाता है।
- 11- विद्यालय को शोशाहरी एजिटेशन अधिनियम 1980 (1980 का 21)के अर्धीन अंतर्दीकृत किसी संसाधनों द्वारा या कसमय प्रकृत किसी विधि के अर्धीन गठित किसी लोक स्थल द्वारा प्रकृत जा रहा है।
- 12- स्कूल को किसी व्यक्ति व्यक्तियों के समूह का संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के जमने के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- 13- विद्यालय के संरचनाओं की किसी घाटे/एकरोटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए। और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रती प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- 14- स्कूल के विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक **X** है। कृपया इसे नोट कर ले, और इस कार्यालय के साथ किसी प्रकार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
- 15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जोरित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के लिए अनुदेशों का चलाना करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के अन्तर्गत अनुपालन सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्य चरण को कमियों को दूर करने के लिए जारी किया जायेगा।
- 16- शोशाहरी के एजिटेशन अधिनियम के नवीनकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जायेगा।
- 17- स्कूल उपबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
- 18- मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रबन्ध तन्त्र द्वारा प्रस्तुत पत्रजात/अभिलेख किसी भी स्तर पर कूट शिथिल अथवा फर्जी अथवा कूटित पाये जाने पर नियमानुसार मान्यता प्रत्याहर्षित करने की कार्यवाही की जायेगी।
- 19- विद्यालय संचालन में आने वाला व्यय विद्यालय प्रबन्ध तंत्र द्वारा अपने निजी खर्चों से वहन किया जायेगा।

भवदीय  
 (राजेन्द्र सिंह)  
 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
 जौनपुर।

पू०स०/मान्यता / 8116 / 2017-18 दिनांक-उक्तवत्त।

प्रतिलिपि- निम्नालिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद।
- 2- राष्ट्रीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) पंचम मण्डल वाराणसी।
- 3- स्कूल शिक्षा अधिकारी सन्निहित विकासखण्ड/नगर क्षेत्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप विद्यालय का पुन निरीक्षण कर ले और पुन रूपण संतुष्ट हो ले कि विद्यालय का नेशनल फिटिंग कोड के मानक के अनुसार निर्मित है। और स्कूल प्राधिकारी द्वारा विद्यालय भवन के नेशनल फिटिंग कोड के अनुसार निर्मित होने का प्रमाण पत्र के निर्गत होने का फोटो कर ले, विद्यालय में स्थापित अनिश्चित युद्ध विभागीय तथा आरक्षण दिनांक 8.09.2013 के द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति करता है, अर्थात् कि स्थिति में यह सन्निहित निर्देश को प्रमाणित करवाये।
- 4- कार्यालय प्रति।

(राजेन्द्र सिंह)  
 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
 जौनपुर।